

संख्या.ए-20014/17/2020-रोकड़
भारत सरकार
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
(रोकड़ प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 अक्टूबर, 2025

परिपत्र

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर गणना – के संबंध में।

रोकड़ विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) की तीसरी तिमाही के आरम्भ में है तथा आयकर की उचित व समय पर गणना और कटौती की जानी है। इसलिए, "पुरानी कर व्यवस्था" का विकल्प चुनने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष: 2026-27) के दौरान किए गए निवेश/बचत से संबंधित साक्ष्य या विवरण विधिवत भरे हुए फॉर्म संख्या 12BB के साथ प्रस्तुत करें।

2. नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष: 2026-27) के दौरान नई और पुरानी कर व्यवस्था की दरों की तुलना दी गई है।

नई कर व्यवस्था**		पुरानी कर व्यवस्था	
शुद्ध आय सीमा (₹)	आयकर की दर	शुद्ध आय सीमा (₹)	आयकर की दर
4,00,000 तक	0%	2,50,000 तक	0%
4,00,001 - 8,00,000	5%	2,50,001 - 5,00,000	5%
8,00,001 - 12,00,000	10%	5,00,001 - 10,00,000	20%
12,00,001 - 16,00,000	15%	10,00,000 से अधिक	30%
16,00,001 - 20,00,000	20%		
20,00,001 - 24,00,000	25%		
24,00,000 से अधिक	30%		

** 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त नियमानुसार लागू।

3. कृपया आवश्यक जानकारी सहायक दस्तावेजों के साथ 10/11/2025 तक रोकड़ अनुभाग में प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि अधिकारियों/कर्मचारियों के पास वेतन भाग अर्थात् जीपीएफ, सीजीईजीआईएस और सीजीएचएस के अलावा कोई बचत नहीं है और टीडीएस की गणना नई कर व्यवस्था जो कि डिफॉल्ट व्यवस्था है के अनुसार की जाएगी।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार।

सेवा में,

- विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
- सीनेट डिवीजन को विकास आयुक्त (एमएसएमई), की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- कार्यालय सूचना पट्ट पर।

(अजय बाजपेयी)
संयुक्त निदेशक (रोकड़)
संयुक्त निदेशक (आई ई डी एस्) / Joint Director (Cash)
भारत सरकार / Govt. of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
विकास आयुक्त (सू. ल. एवं म. उद्यम) का कार्यालय
Office of the Dev. Commissioner (MSME)
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 / Nirman Bhawan, New Delhi-110011

No.A-20014/17/2020-Cash
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of Development Commissioner
(Cash Section)

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated: 24th October, 2025

C I R C U L A R

Subject : Income Tax Calculation for the Financial Year 2025-26 (AY: 2026-27).

Cash Section is in the beginning of third quarter of Financial Year 2025-26 (Assessment Year 2026-27) and proper & timely calculation and deduction of income-tax is to be done. Therefore, all officers'/officials **who have opted for "Old Tax Regime"** are requested to furnish the evidence or particulars relating to the investments/savings made/proposed to be made during the current financial year 2025-26 (AY : 2026-27) with duly filled Form No.12BB.

2. The table below compares the tax rates of the new and the old regimes during Financial Year : 2025-26 (AY: 2026-27).

New Tax Regime **		Old Tax Regime	
Net Income range (₹)	Rate of Income tax	Net Income range (₹)	Rate of Income tax
Up to 4,00,000	0%	Up to 2,50,000	0%
4,00,001 - 8,00,000	5%	2,50,001 - 5,00,000	5%
8,00,001 - 12,00,000	10%	5,00,001 - 10,00,000	20%
12,00,001 - 16,00,000	15%	Above 10,00,000	30%
16,00,001 - 20,00,000	20%		
20,00,001 - 24,00,000	25%		
Above 24,00,000	30%		

** Income up to ₹12 Lakh tax free is applicable as per rules.

3. The required information alongwith supporting documents may please be furnished to Cash Section latest by **10/11/2025**. In case no information is received by the due date it would be presumed that the officers /officials have no saving other than salary part i.e. GPF, CGEGIS and CGHS and TDS would be calculated accordingly as per default regime of New Tax Regime.

Encl.: As above

To,

- All Officers/Staff Members of DC(MSME), New Delhi.
- Senet Division for uploading on DC(MSME), Website.
- Office Notice Board.

(Ajay Bajpai)

Joint Director (Cash)

संयुक्त निदेशक (आई ई डी एस) / Joint Director (Cash)
भारत सरकार / Govt. of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
विकास आयुक्त (सू. ल. एवं म. उद्यम) का कार्यालय
Office of the Dev. Commissioner (MSME)
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 / Nirman Bhawan, New Delhi-110011

फॉर्म संख्या/FORM NO. 12BB
(See Rule 26C)

अनुलग्नक
ANNEXURE-II

1. कर्मचारी नाम, पदनाम एवं पता : Name, Designation and address of the employee:			
2. पैन संख्या Permanent Account Number of the employee:			
3. वित्तीय वर्ष / Financial year:	वि.व./FY:2025-26 (आकलन वर्ष /AY:2026-27)		
4. चुनी गयी आयकर व्यवस्था Income Tax Regime Opted for (Old/New)			
दावों का विवरण और उसके साक्ष्य/Details of claims and evidence thereof			
क्र.सं. Sl No.	दावे की प्रकृति Nature of claim	राशि Amount (₹)	साक्ष्य/विवरण Evidence/ particulars
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकान किराया भत्ता /House Rent Allowance:		
	(i) मकान मालिक को दिया गया किराया Rent paid to the landlord		
	(ii) मकान मालिक का नाम Name of the landlord		
	(iii) मकान मालिक का पता Address of the landlord		
	(iv) मकान मालिक का पैन संख्या Permanent A/c Number of the landlord		
	नोट: यदि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो भू-स्वामी के स्थायी खाता संख्या की प्रति प्रस्तुत की जाएगी। Note: Copy of Permanent of Land Lord Account Number shall be submitted if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees		
2	अवकाश यात्रा रियायतें या सहायता Leave travel concessions or assistance		
3	उधार लेने पर ब्याज की कटौती Deduction of interest on borrowing:		
	(i) ऋणदाता को देय/भुगतान किया गया ब्याज Interest payable/paid to the lender		
	(ii) ऋणदाता का नाम Name of the lender		
	(iii) ऋणदाता का पता Address of the lender		
	(iv) ऋणदाता की स्थायी खाता संख्या Permanent Account No. of the lender		
	(क) वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हो) Financial Institutions(if available)		
	(ख) नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो) Employer(if available)		
	(ग) अन्य / Others		
4	अध्याय VI-A के तहत कटौती Deduction under Chapter VI-A		
	(ए) धारा 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी (A) Section 80C, 80CCC and 80CCD		
	(i) धारा / Section 80C		
	(a)		
	(b)		

	(c)		
	(d)		
	(e)		
	(f)		
	(g)		
	(ii) धारा / Section 80CCC		
	(iii) धारा / Section 80CCD		
	(बी) अध्याय VI-A के तहत अन्य खंड (जैसे 80E, 80G, 80TTA, आदि)		
	(B) Other sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A.		
	(i) धारा / section.....		
	(ii) धारा / section.....		
	(iii) धारा / section.....		
	(iv) धारा / section.....		
	(v) धारा / section.....		
5	कोई अन्य बचत Any Other Saving (i)..... (ii)..... (iii).....		
6	अन्य आय (यदि कोई हो तो बताएं) Other Income (Specify, if any)		

सत्यापन / Verification

मैं/.....पुत्र/पुत्री/son/daughter of..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।/do hereby certify that the information given above is complete and correct.

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

पद/Designation

(कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of the employee)

पूरा नाम/Full Name.....

मकान-किराए पर दी गई संपत्ति से आय की गणना
COMPUTATION OF INCOME FROM HOUSE PROPERTY-LET OUT

संपत्ति का पता/Address of the Property :.....
.....

क्र.सं. Sl.No.	विवरण/Particular	राशि/Amount (₹)
(A)	वार्षिक प्राप्त किराया Annual Rent Received	
(B)	नगरपालिका करों का भुगतान Municipal Taxes Paid	
(C)	शुद्ध वार्षिक मूल्य (ए - बी) Net Annual Value (A - B)	

(D)	कटौती: रखरखाव के लिए धारा 23(ए) (सी का 30%) Deductions: Sec.23(a) (30% of C) for maintenance	
(E)	धारा 24(i) उधार ली गई पूंजी पर दिया गया ब्याज:- Sec.24(i) Interest paid on borrowed capital :-	
	(I) सरकार द्वारा (I) From Government	
	(II) बैंक द्वारा (II) From Bank	
(F)	कुल कटौती (डी और ई) Total Deductions (D & E)	

(G)	गृह संपत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय (सी - एफ) Net chargeable income from House Property (C - F)	
-----	---	--

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of the Employee